भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3264
दिनांक 05 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय महिला कोष

3264. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री प्रताप सिन्हा:
श्री तेजस्वी सूया:
डॉ. उमेश जी. जाधव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या मंत्रालय ने गरीब महिलाओं को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ग्राहक अनुकूल प्रक्रिया में रियायती शर्तों पर विभिन्न आजीविका सहायता और आय सृजन क्रियाकलापों के लिए सूक्ष्म ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) को मजबूत करने के लिए कोई प्रयास किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) 2014 से कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) की स्थापना महिलाओं का सामाजिक आर्थिक उत्थान करने के लिए आजीविका संबंधी क्रियाकलापों, आवास, लघु उपक्रम तथा पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए मध्यस्थ सूक्ष्म वित्त संगठनों के माध्यम से गरीब महिलाओं को छूट संबंधी सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करने के लिए 1993 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष ने ओइएमओ के माध्यम से गरीब महिलाओं को नि:शुल्क छूट संबंधी सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान किए थे। इसके आरंभ से, इसने 373.12 करोड रूपये तक की राशि के ऋणों को मंजूरी दी है और 741163 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 315.13 करोड रूपये का वितरण किया है।

राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना के समय यह आईएमओ के माध्यम से गरीब महिलाओं को रियायती दर पर सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करने हेतु कार्यशील प्रमुख सरकारी निकाय था। तब से, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी विभिन्न सरकारी पहलों के माध्यम से महिला उद्यमियों को वास्तविक वैकल्पिक ऋण सुविधा तंत्र उपलब्ध हो गए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित विशेषज्ञ प्रबंधन आयोग की सिफारिशों तथा प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्राधिकृत सरकारी निकायों के यौक्तिकीकरण की रिपोर्ट के अनुरूप, सरकार ने दक्षता को सुधारने तथा उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष को बंद करने का निर्णय लिया है।

(ख) : राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा शामिल लाभार्थियों के जिला-वार आंकडे नहीं रखे जाते हैं। सन् 2014 में कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय महिला कोष के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	महाराष्ट्र	कर्नाटक
1	2014-15	शून्य	शून्य
2	2015-16	शून्य	शून्य
3	2016-17	शून्य	शून्य
4	**2017-18**	**90**	शून्य

5	**2018-19**	**373**	**227**
6	2019-20	शून्य	शून्य
7	2020-21	शून्य	शून्य
8	2021-22	शून्य	शून्य